




# भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 500]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29, 1977/अग्रहायणा 8, 1899

No. 500]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 29, 1977/AGRAHAYANA 8, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November 1977

**S.O 790(E)**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely —

1 (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and twenty fourth Amendment) Rules 1977

(2) They shall come into force at once

2 In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, (hereinafter referred to as the said rules) in the First Schedule,—

(a) for entry 16, the following entry shall be substituted, namely —

“16 Ministry of Planning (Yojana Mantralaya) [with a Department of Statistics (Sankhyiki Vibhag) within the Ministry (Mantralaya)]”;

(b) after entry 26, the following entry shall be inserted, namely —

“27 Department of Science and Technology (Vigyan and Prodyogiki Vibhag).”

3. In the Second Schedule to the said rules—

(a) under the heading "MINISTRY OF PLANNING (YOJANA MANTRALAYA)", the sub-heading "DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PRODYOGIKI VIBHAG)" and the entries thereunder shall be omitted;

(b) after the heading "DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SANSADIYA KARYA VIBHAG)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely:—

"DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PRODYOGIKI VIBHAG)

- 1 Formulation of policy statements and guidelines on science and technology and the following through their implementation
2. National Committee on Science and Technology.
3. Promotion of new areas of science and technology.
4. Oceanography including the scientific and technological aspects of the seabed and ocean floor.
- 5 Environment and Ecology.
- 6 Futurology.
- 7 All matters concerning the Council of Scientific and Industrial Research
8. Survey of India and National Atlas Organisation.
9. Botanical Survey of India.
10. Zoological Survey of India.
- 11 National Research Development Corporation.
- 12 Annual Session of the Indian Science Congress Association.
13. Central Board of Geophysics.
14. The Pan-Indian Ocean Science Association.
15. Indian National Scientific Documentation Centre.
16. Coordination of areas of science and technology in which a number of institutions and departments have interests and capabilities.
- 17 Undertaking or financially sponsoring scientific and technological surveys, research, design, development where necessary.
18. Grants to national research institutions, scientific associations and scientific bodies, including the Indian National Science Academy, the Indian Academy of Science and the National Academy of Sciences.
19. All matters concerning domestic technology particularly the promotion of ventures involving the commercialisation of such technology.
- 20 International Scientific and Technological Affairs including—
  - (a) the negotiation and implementation of Scientific and Technological Cooperation Agreements and responsibility for scientific and technological aspects of activities of international organisation; and
  - (b) appointment of Scientific Attaches abroad.

NOTE.—These functions shall be exercised by the Department of Science and Technology (Vigyan aur Prodyogiki Vibhag) in close cooperation with the Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya).

- 21 Matters commonly affecting scientific and technological institutions e.g. financial, personnel, purchase and import policies and practices.
- 22 Matters relating to creation of a pool for temporary placement of Indian scientists and technologists returning from abroad
- 23 All other measures needed for the promotion of science and technology and their application to the development and security to the nation."

N SANJIVA REDDY, President.

[No. 74/2/1/77-CF]

R. C. BHARGAVA, Jt. Secy.

## मंत्रिमंडल सचिवालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1977

क्र० आ० 790(अ) —राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवटन) (एक सौ चौबीसवाँ संशोधन) नियम, 1977 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2 भारत सरकार (कार्य-आवटन) नियम, 1961, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, प्रथम अनुसूची में, —

(क) प्रविष्टि 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

“16 योजना मंत्रालय (मंत्रालय में सांख्यिकी विभाग भी शामिल होगा) ।”;

(ख) प्रविष्टि 26 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् —

“27 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ।”

3 उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में —

(क) “योजना मंत्रालय” शीर्षक के अन्तर्गत “विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग” उपशीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) “समन्वय कार्य विभाग” शीर्षक और उसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् —

## “विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में नीति विषयक कथन और मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करना और बराबर यह देखते रहना कि उनका कार्यान्वयन किया जाता है ।

2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय समिति ।

3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों का विकास ।

4. समुद्र विज्ञान, जिसके अन्तर्गत समुद्रतल और महासागर धरातल के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पहलू आते हैं ।

5. वातावरण एवं परिस्थिति विज्ञान ।

6. भविष्य विज्ञान ।

7. वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसन्धान परिषद् सम्बन्धी सभी मामले ।
8. भारतीय सर्वेक्षण और राष्ट्रीय ऐटलस संगठन ।
9. भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण ।
10. भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण ।
11. राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम ।
12. भारतीय विज्ञान कांग्रेस सगम का वार्षिक सत्र ।
13. केन्द्रीय भू-भौतिकी बोर्ड ।
14. सर्व भारतीय समृद्ध विज्ञान सगम ।
15. भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक दस्तावेजी केन्द्र ।
16. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऐसे क्षेत्रों का समन्वय जिनमें अनेक संस्थाओं और विभागों की सचि हो और जिनमें उनकी क्षमता हो ।
17. वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षणों, अनुसंधान, डिजाइन और विकास, जहाँ कहीं आवश्यक हो, के कार्यों को हाथ में लेना या वित्तीय तौर पर उन्हें समर्थन देना ।
18. राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं, वैज्ञानिक सगमों और वैज्ञानिक निकायों को, जिनके अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय विज्ञान अकादमी और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है, अनुदान ।
19. देशी प्रौद्योगिकी में सम्बद्ध सभी मामले, विशेषतया ऐसी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकरण को अन्तर्वलित करने वाले उद्यमों का विकास ।
20. अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों, जिनके अन्तर्गत निम्न-लिखित है :—

(क) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहकारिता करारों के सम्बन्ध में बातचीत और उनका कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के क्रियाकलाप के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पहलुओं की जिम्मेदारी; और

(ख) विदेशों में वैज्ञानिक सहकारियों (अताक्षियों) की नियुक्ति ।

**टिप्पण.**—इन कृत्यों का पालन विदेश मंत्रालय के निकट सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा ।

21. वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संस्थाओं पर सामान्य रूप से प्रभाव डालने वाले मामले, उदाहरणार्थ वित्तीय, कार्मिक, ऋय और आयात नीतियां तथा व्यवहार ।

22. विदेशों से लौटने वाले भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के प्रस्थायी स्थापन के लिए पूल बनाने से सम्बन्धित मामले ।
23. विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अभिवृद्धि तथा राष्ट्र के विकास और सुरक्षा के निमित्त उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक अन्य सभी उपाय ।”।

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति ।

[सं० 74/2/1/77-सी एफ]

आर० सी० भार्गव, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

